भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1876
उत्तर देने की तारीख : 11.03.2025

भारतीय सांकेतिक भाषा

1876. श्री जी.एम. हरीश बालयोगी :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत की कितनी प्रतिशत आबादी मूक और बधिर है तथा भारतीय सांकेतिक भाषा का प्रयोग करती है;

(ख) क्या सरकार की भारतीय सांकेतिक भाषा को राजभाषा बनाने के लिए कोई योजना/पहल है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने देश के शैक्षिक पाठ्यक्रम में भारतीय सांकेतिक भाषा को शामिल करने के लिए कोई पहल की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या सरकार की देश के शैक्षिक पाठ्यक्रम में भारतीय सांकेतिक भाषा को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने की कोई योजना/पहल है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(च) विभिन्न व्यावसायिक और कौशल विकास पाठ्यक्रमों में भारतीय सांकेतिक भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) मीडिया के विभिन्न रूपों में भारतीय सांकेतिक भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): दिव्यांगजनों के जनसांख्यकीय आंकड़ों के लिए सरकार मुख्य रूप से जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में कुल 2.68 करोड़ व्यक्ति दिव्यांग हैं जिनमें से 19% श्रवण बाधित दिव्यांग हैं।

(ख): दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) को मान्यता, संरक्षण और संवर्धन के लिए पर्याप्त प्रावधान प्रदान करता है।

(ग) से (ङ): आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप, सरकार ने भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) को शिक्षा प्रणाली में शामिल करने के लिए विभिन्न पहल की हैं।

भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी), नई दिल्ली ने निम्नलिखित प्रमुख पहल की हैं:

एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों का आईएसएल में रूपांतरण: 2020 में आईएसएलआरटीसी और एनसीईआरटी के बीच हस्ताक्षरित और 2023 में नवीनीकृत एक समझौता ज्ञापन के तहत, कक्षा 1 से 6 तक की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों को आईएसएल में परिवर्तित कर दिया गया है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा, एनईपी 2020 के तहत कक्षा 1-3 तक की तैयार की गई पाठ्यपुस्तकों को भी आईएसएल में परिवर्तित कर दिया गया है।

भाषा विषय के रूप में आईएसएल: आईएसएलआरटीसी ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के सहयोग से माध्यमिक स्तर पर भाषा विषय के रूप में आईएसएल के लिए पाठ्यक्रम विकसित किया है।

आईएसएल शब्दकोश: आईएसएलआरटीसी ने एक आईएसएल शब्दकोश विकसित किया है जिसमें एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों से प्राप्त शैक्षणिक शब्दावली शामिल हैं।

दिव्यांगजनों के बीच कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) लागू कर रहा है। इस योजना के तहत:

दिव्यांगजनों के लिए कौशल परिषद (एससीपीडब्ल्यूडी) और प्रमाणित प्रशिक्षकों के माध्यम से बधिर दिव्यांगजनों को आईएसएल में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

[

बुनियादी आईएसएल संचार और रोजगारपरक पाठ्यक्रमों सहित विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बधिर प्रशिक्षक आईएसएल के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

आईएसएलआरटीसी ने आरसीआई-अनुमोदित दो वर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम विकसित किया है, जिसे 'डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज कोर्स' कहा जाता है, जहां बधिर व्यक्तियों को आईएसएल शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिसमें शिक्षण का तरीका आईएसएल होता है।

(छ): मीडिया में आईएसएल की पहुंच बढ़ाने और उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, आईएसएलआरटीसी ने कई डिजिटल संसाधन विकसित किए हैं :

आईएसएल शब्दकोश के लिए एक समर्पित वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन "साइन लर्न"।

आईएसएल में शैक्षिक सामग्री पीएम ई-विद्या के तहत डीटीएच चैनल नंबर 31 के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, जिसे यूट्यूब पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाता है।

आईएसएल संसाधन और वीडियो नियमित रूप से फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए जाते हैं।

*****